

02/07/25


पत्रावली पत्र हुइ P.O. साहय अन्ध
कार्य में अस्त है पत्रावली अर्धव्या
दिनांक 20/07/25 को पेश ही ।

9/8/2025

पत्रावली में कही श्री भूपेन्द्र सिंह सोखला तथा सोहन सिंह रावत
, कहील कही श्री देवकान्त आस ^{द्वारा} प्रार्थना पत्र वास्ते
पत्रावली काज तलब कर पत्रावली पर कार्यवाही शेष करने
बाबत पेश किया। कहीगण स्वयं तथा अधिवक्ता कही
श्री देवकान्त आस की ~~पत्र~~ प्रार्थनापत्र वास्ते पत्रावली तलब
बाबत सुना गया। कही तथा अधिवक्ता कही ~~कही~~ पत्रावली में
न्यायालय के निर्देश किया गया कि गए गस्त आराजी की
तलब कही तथा परिवारीगणोंके मध्य राजीनामा हो गया है।

Summary
(शकील खान)

स. 1 -
withdrew
by me.
B.S. Sarker

स. 2.

Subhrajit
(सोहन सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) लगातार

30/2020

जिसके कारण दोनों पक्षकारान के मध्य कोई विवाद
विवाद शेष नहीं रह गया है। जिसके कारण जहीगण
पनावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चालते हैं। अतः
उत्तरण में कार्यवाही ड्रॉप करवाना चालते हैं। यदि उत्तरण
में आगामी पेशी 20/03/2025 नियत है तथा वही खंड है।
तथा बिमार & रहते हैं। अतः आज ही उत्तरण / पनावली
तलब दिया जाकर कार्यवाही समाप्त हो जावे। वही
वही तथा वहीगणों का उक्त निवेदन तथा उत्तरण
जायना फव वस्ते पनावली तलब स्वीकार होने से
पनावली आज पेश हुई। वही वही तथा वही
श्री भूपेन्द्र सिंह साखला, मुख्ययार नामा जारी श्री
सोहन सिंह खत उपस्थित हैं। वही वही तथा
वही द्वारा पनावली में जायना फव वस्ते कार्यवाही ड्रॉप
करने बाबत पेश किया गया। वही वही श्री देवकान्त
वसात तथा वही स्वयं को सुना गया। इनके द्वारा पनावली
निवेदन किया गया कि वही तथा जहीगणों के मध्य
राजीनामा हो चुका है। दोनों पक्षकारों के मध्य उरनात
आराजी में कोई वद - विवाद शेष नहीं रह गया है।
जिसके कारण ~~वही~~ वही पनावली में आगे कोई
कार्यवाही नहीं चालते हैं। अतः लौक अहालत की भावना
अनुक्रम कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त / ड्रॉप हो
जावे। * वही तथा वही अधिवक्ता को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम का कार्यावाही का दिनांक</p> <p>30/2020</p> <p>GCM 3 2020/00076</p>	<p>नम्बर व अनुक्रम हुकम की में जारी</p>
	<p>वाही फावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाई है। ऐसी दिवस में प्रकरण में कोई कार्यवाही आगे अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वही तथा वाही स्वयं के मौखिक कथनों तथा लिखित आवेदनों पर, फावली आदेशों पर लिखित टिप्पणी स्वीकार की जाकर प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। फावली केवल शुमार है। नम्बर से कम दोहर दाखिल दफ्तार है।</p> <p>उपसर्ज अधिकारी भिनाय (अजमेर)</p>	